

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1004 /2022.लखनऊ:दि0:जुलाई 13 ,2022

--: आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-820/22 दिनांक 08.06.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह जुलाई 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री विनय सिंह न्यायिक सदस्य पीठ-1, लखनऊ एवं श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल न्यायिक सदस्य, पीठ-अलीगढ़ का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया है तथा दोनों ही न्यायिक सदस्यों द्वारा अपना पदभार छोड़ा जा चुका है।

अतः पूर्व परिचालित माह जुलाई-2022 के युगल पीठ कार्यक्रम में अंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 04.07.2022 से 08.07.2022 तक तथा 25.07.2022 से 29.07.2022 तक लखनऊ में गठित युगल पीठ एवं दिनांक 11.07.2022 से 14.07.2022 तक सहारनपुर में गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष तिथि यथावत रहेगी।

ह0 /-13.07.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः वा0क0अधि0/ ^{युगल} पीठ / /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 01-67. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3 लखनऊ/अलीगढ़/सहारनपुर।
- 02-68. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
- 03-69. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।